प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 447 / 2023

अनवान : –

1. हेतराम पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मोखमाराम पुत्र केहरूराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. बैंसाखी पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. श्योनारायण पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. आदराम पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. मंजु पत्नी मंगलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. संजना पुत्री स्व0 मंगलाराम नाबालिग संरक्षिका माता मंजु पत्नी मगंलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. अंकित पुत्र स्व0 मंगलाराम नाबालिग संरक्षिका माता मंजु पत्नी मगंलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. अजय पुत्र स्व0 मंगलाराम नाबालिग संरक्षिका माता मंजु पत्नी मगंलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. कमला देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. रूकमा देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. बाधो देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. धन्नी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. मैना देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय **दिनांक: 14.06.2023**

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:49 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 254 / 237 की कुल 3.4520 [illegible] भूमि एवं रोही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 253/236 की कुल 19.0830 हैक्ट भूमि में से 1353/6361 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मोखमरा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 13 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया 9 ता 11 ने उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 8 व 12 ता 13 वाद भूमि पर काबिज है। वादी अपने हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। यही बिना दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 254/237 की कुल 3.4520 हैक्एवं खाता स0 253/236 की कुल 19.0830 हैक्ट भूमि में से 1353/1361 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त दोनो खातो में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रत्येक का 16/25 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 ता 8 का बहिब 4/25 हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 12 व 13 का बहिब 2/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नही है। की वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:49 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण में वादी एवं प्रति[illegible] का राजीनामा/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी [illegible]कता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 9 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 एवं 12 ता 13 काबिज है। वादी के वाद के वाद के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 13 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 254/237 की कुल 3.4520 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 253/236 की कुल 19.0830 हैक्ट भूमि में से 1353/6361 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 13 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनाम वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 9 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वाद वादी, वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी व प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 254/237 की कुल 3.4520 हैक एवं खाता स0 253/236 की कुल 19.0830 हैक्ट भूमि में से 1353/1361 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त दोनो खातो में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रत्येक का 16/25 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 ता 8 का बहिब 4/25 हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 12 व 13 का बहिब 2/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.6.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 447 / 2023

अनवान : –

1. हेतराम पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोखमाराम पुत्र केहरूराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. बैंसाखी पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. श्योनारायण पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. आदराम पुत्र मोखमाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. मंजु पत्नी मंगलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. संजना पुत्री स्व0 मंगलाराम नाबालिग संरक्षिका माता मंजु पत्नी मगंलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. अंकित पुत्र स्व0 मंगलाराम नाबालिग संरक्षिका माता मंजु पत्नी मगंलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. अजय पुत्र स्व0 मंगलाराम नाबालिग संरक्षिका माता मंजु पत्नी मगंलाराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. कमला देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. रूकमा देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. बाधो देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. धन्नी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. मैना देवी पुत्री मोखमराम जाति बाल्मिकी निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 447 सन 2023 निर्णय दिनांक 14.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 254 / 237 की कुल 3.4520 हैक एवं खाता स0 253 / 236 की कुल 19.0830 हैक्ट भूमि में से 1853 / [illegible]61 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त दोनो खातो में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:49 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रत्येक का 16/25 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 ता 8 का बहिब 4/25 हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 12 व 13 का बहिब 2/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:53:49 IST
Reason: SelfAttested